राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 269/2010/अजमेर
2. अपील संख्या – 270/2010/अजमेर
3. अपील संख्या – 271/2010/अजमेर
4. अपील संख्या – 272/2010/अजमेर
5. अपील संख्या – 273/2010/अजमेर

मैसर्स अमीलाल ईश्वर दास,
ब्यावर (अजमेर)। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम वृत्त–द्वितीय,
राजस्थान जयपुर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/02/2014

निर्णय

1. ये अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के अन्तर्गत अपील संख्या 65, 66, 67, 68 एवं 69/2007–08/आरएसटी/ब्यावर में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.12.2009 के विरूद्ध धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. सभी अपीलों में विववादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवसायी से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

3. प्रकरणों के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन वार्ड–प्रथम, वार्ड–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 25.01.2003 को किया गया। जिस पर करापवंचन का वाद बनाया गया। जिसमें परिणामस्वरूप वर्ष 98–99, 99–2000, 2000–01 एवं 2002–03 का पुनः कर निर्धारण धारा 30, 65, 58 व 72(2) के तहत आदेश पारित किया जाकर कर प्रशमन राशि व ब्याज आरोपित किया गया। वाद में धारा 72(2) के तहत Composition राशि उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन राजस्थान, जयपुर के द्वारा निर्धारण की गयी थी।

अपीलार्थी द्वारा प्रशमन आवेदन पेश किया गया। जिसे उपायुक्त (प्रशासन), प्रतिकरापवंचन राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 27.03.2003 को स्वीकार कर आलौच्य वर्षों में प्रशमन राशियां तय कर दी गयी। उसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर

लगातार.....2

प्रशमन राशि व गणनानुसार ब्याज का आरोपण किया गया। ब्याज आरोपण के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश की गयी। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.12.2009 से अपीलें अस्वीकार कर ब्याज के आरोपण को उचित माना गया। इन आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गयी हैं। जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इन प्रकरणों में ब्याज के बिन्दु को विवादित किया गया है। वर्षवार चार्ट निम्न प्रकार है :–

अपील संख्या	वर्ष एवं क.नि.आ.	विवादित राशि ब्याज
269/2010	1998–99/27.03.03	52270
270/2010	1999–00/27.03.03	72132
271/2010	1998–99/27.03.03	69655
272/2010	1999–00/27.03.03	19228
273/2010	2000–01/27.03.03	27544

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि ब्याज का आदेश नियत अवधि के बाद पारित किया गया है। जबकि ब्याज का कोई भी आदेश 2 वर्ष बाद नहीं हो सकता है। उसके अनुसार यह मांग पत्र आदेश उन्हें दिनांक 11.01.2007 को तामील हुआ है। जबकि यह प्रशमन आदेश दिनांक 27.03.2003 को ही पारित किया जा चुका था। इस प्रकार यह ब्याज का आदेश समय सीमा के बाहर पारित किया जो कि विधिशून्य है। साथ ही उन्होनें अपीलीय अधिकारी के आदेश को भी त्रुटीपूर्ण बताया। तथा निम्न न्यायिक निर्णयों का हवाला देकर ब्याज के आदेश को अविधिक बताते हुए ब्याज को अपास्त करने का निवेदन किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई ने कथन किया कि ब्याज का आदेश दिनांक 27.03.2003 को ही पारित कर दिया गया था। जो कि विभाग की पत्रावली से प्रमाणित होता है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि चूंकि ब्याज आदेश का मांग पत्र उन्हें दिनांक 11.01.2007 को तामील हुआ है सही नहीं है। श्री जमील जई के अनुसार चूंकि अपीलार्थी द्वारा वाद को प्रशमन करवाया गया था। अतः प्रशमन आदेश के विरूद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होती है। तथा कर के साथ ब्याज Automatic रूप से गणना योग्य होता है। इसी कारण दिनांक 27.03.2003 को ही कर, प्रशमन राशि व ब्याज का निर्धारण कर दिया गया था। अतः ब्याज का निर्धारण सही रूप से किया गया है अतः अपीलें निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

7. दोनों पक्षों की बहस सूनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ब्याज का निर्धारण दिनांक 27.03.2007 को ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर दिया गया था। अतः यह कहना गलत है कि ब्याज का आदेश

लगातार.....3

समय सीमा के बाद पारित किया गया है। यह तथ्य कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से सुस्पष्ट है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी का तर्क अस्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। निर्णय मैसर्स चन्द्रहासन बनाम केरल राज्य (96–एसटीसी–21) में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने प्रशमन आदेश में अन्य धारा के तहत आरोपित शास्ति को अनुचित माना है। इसी प्रकार माननीय कर बोर्ड के उद्धरित उक्त दोनों निर्णयों में कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 78(5) तथा धारा 78(8) के तहत वाद बनाये थे। धारा 78(5) के वाद को प्रशमन किया था तथा धारा 78(8) के तहत अलग से शास्ति आरोपित की गयी थी जिसे माननीय कर बोर्ड के विधि सम्मत नहीं माना था। वर्तमान प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने अन्य किसी धारा के तहत शास्ति आरोपित नहीं की है बल्कि देय कर देरी से जमा होने की स्थिति में ब्याज का आरोपण किया गया। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि0 के प्रकरण (9 वैट रिपोर्टर 179) में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ब्याज उसी तिथि से देय होता है जिस तिथि को संबंधित अवधि का कर देय होता है अर्थात ब्याज स्वतः प्रभावी है।

इसी प्रकार ब्याज का निर्धारण समय पर व विधिअनुसार किया गया है। जिसे उचित होने से कायम रखा जाता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार किया जाता है।

फलतः अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

13-2-14

(अमर सिंह)
सदस्य